आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : आंवला
वाद संख्या :– 5512/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :– T202212130205512
शिवदेव मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा :– 80, अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता –2006

निर्णय

उक्त वाद में श्री शिवदेव मौर्य द्वारा धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता के अंन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में श्री शिवदेव मौर्य ने कहा है कि ग्राम कुन्डरिया फैजुल्लापुर परगना आंवला तहसील आंवला जिला बरेली के गाटा संख्या 855 रक्बा 0.837 है0 पर शिक्षण कार्य के प्रयोग में लाया जा रहा है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए इस भूमि को अकृषिक घोषित किया जायें।

इस प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच करायी गयी। जाँच आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने अंकित किया है कि ग्राम कुन्डरिया फैजुल्लापुर परगना आंवला तहसील आंवला जिला बरेली के गाटा संख्या 855 रक्बा 0.837 है0 पर शिक्षार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक करने हेतु आख्या प्रेषित की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल खतौनी की प्रति, खसरा व स्थल का फोटो व जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार एक प्रतिशत 16,500/– रू0 राजकीय कोष में जमा किये जाने के उपरान्त चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किये है।

नायब तहसीलदार आंवला ने आख्या में अंकित किया है कि ग्राम कुन्डरिया फैजुल्लापुर परगना आंवला तहसील आंवला जिला बरेली के गाटा संख्या 855 रक्बा 0.837 है0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त रकवे में मोहन कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुन्डरिया फैजुल्लापुर के शिक्षण कक्षों का निर्माण किया जा रहा है। भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन के लिए नहीं हो रहा है। उक्त गाटा को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है। उक्त आख्या को तहसीलदार आंवला द्वारा सम्प्रेषित की है।

अतः उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

आदेश हुआ कि ग्राम कुन्डरिया फैजुल्लापुर परगना आंवला तहसील आंवला जिला बरेली के खतौनी वर्ष फसली 1424–1429 के खाता संख्या 00239 के गाटा संख्या 822 रकवा 0.837 है0 को धारा 80 उ.प्र. राजस्व संहिता के अंतर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक :–

उपजिलाधिकारी
आंवला, बरेली।

पृष्ठ संख्या :